P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-7* (Part-2) March- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

महिला सशक्तिकरण व भारतीय कानून

निधि शर्मा
असिस्टेंट प्रोफेसर,
विधि विभाग,
आगरा कॉलेज,
आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत महिलाओं से जुडे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और कानूनी मुद्दों पर संवेदनशीलता और सरोकार व्यक्त किया गया है। इस लेख में भारतीय समाज में नारियों की स्थिति का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर वर्तमान समय तक विश्लेषण किया गया है। इसमें महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं और कानूनों का विवरण दिया गया है।

मुख्य शब्द : भारतीय नारियाँ, युगस्थिति, समाज, स्वतन्त्रता, सरकारी योजना, कानून अधिनियम, महिलाओं, वर्तमान।

प्रस्तावना

महिलाओं को उनकी निजी स्वतन्त्रता और खुद के फैसले लेने का अधिकार देना ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है। भारत के समाज व परिवार के सुनहरे व उत्तम भविष्य के लिए महिला सशक्तिकरण होना अत्यंत आवष्यक है। समाज के उत्थान के लिये पुरूष व महिला दोनों को बराबरी में लाना होगा। देश को विकासशील देश से विकसित देश में परिवर्तन करने के लिये महिलाओं को सशक्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भारतीय सांवैधानिक प्रावधानों के अनुसार पुरूषों के समान महिलाओं के भी सभी क्षेत्रों में बराबर से सभी अधिकार पाने का कानूनी प्रावधान है। भारत में महिलाओं व बच्चों के पूर्ण विकास के लिये महिला व बाल विकास विभाग भी उचित कार्य कर रहा है। विकास का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सक्षम बनाना है, क्योंकि एक सशक्त व मजबूत महिला देश के भविष्य के साथ अपनी संतानों का भविष्य भी सुनिश्चित करती है।

भारत एक पुरूष प्रधान समाज के साथ ही प्राचीन काल से अपनी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, धर्म, सांस्कृतिक विरासत व भौगोलिक विशेषताओं के लिये जाना जाता है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है वह आर्थिक रूप से पूर्ण स्वतंत्र है सुशिक्षित बेन विश्वासपूर्वक हो तथा इसके साथ ही साथ एक महिला के तौर पर अपने घर–परिवार की जिम्मेदारी भी कुशलतापूर्वक संभाल सकें। महिलाओं को जब से वह जन्म लेती है, तभी से श्रेष्ठ महसूस करवाना, उनमें आत्म–विश्वास जगाना तथा पुरूषों के मुकाबले बराबरी के हक का अहसास दिलाना भी सशक्तिकरण है। भारत में पिछली कुछ सदियों में स्त्रियों की स्थिति में कई बड़े बदलाव आये हैं।

पूर्व नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू जी द्वारा कहा गया एक मशहूर व सुन्दर वाक्य– ''लोगों को जगाने के लिये महिलाओं का जागृत होना जरूरी है।'' आज के समाज में महिलाओं के महत्व को दर्शाता है कि अगर हम समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, उसको पूर्ण रूप से विकसित करना चाहते हैं तो हमें महिलाओं को बहुत अधिक मजबूत बनाना होगा। पुरूषों को आगे बढ़कर महिलाओं को प्रेरित करना होगा।

अध्ययन का उद्देश्य

इस लेख का उद्देश्य भारतीय समाज की महिलाओं को उनके वैधानिक अधिकारों व सरकारी योजनाओं के विषय में पूर्ण जानकारी प्रदान करना है।

प्राचीन भारत में वर्तमान समय तक महिला सशक्तिकरण की स्थिति

महिलाओं की स्थिति वैदिक युग से लेकर आधुनिक युग तक अनेकों बार कई उतार–चढावों से गुजरती री है तथा उनके अधिकारों में उसी के अनुरूप बदलाव होते रहे हैं–

वैदिक काल में नारियों की स्थिति

वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति काफी सुदृण थी। उन्हें समाज व परिवार में बहुत सम्मान प्राप्त था। उन्हें शिक्षा व सम्पत्ति में बराबरी का हक था। सभी प्रकार की सभा व समितियों में वह स्वतंत्रता से भाग लेती थी। स्त्रियों को

बहुत गरिमामयी स्थान प्राप्त था उन्हें देवी, सहधर्मिणी, अर्धांगिनी, सहचरी माना जाता था।

स्मृतिकाल में ''यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता'' कहकर उन्हें सम्मान दिया गया पौराणिक काल में शक्ति का स्वरूप मानकर उनकी आराधना की गई। वहीं ऋग्वेद का कथन है कि स्त्रियों के साथ कोई मित्रता नहीं है। उनके हृदय भेडियों के हृदय हैं। उन्हें दास की सेना का अस्त्र–शस्त्र कहा गया है। मैत्रयी संहिता में स्त्री को झूंठ का अवतार कहा गया।

इस प्रकार स्पष्टतया वैदिक काल में भी एक तरफ जहां स्त्रियों को समाज में पूर्ण सम्मान प्राप्त था, वहीं कहीं न कहीं उनको नीची दृष्टि से देखा जाता था। बावजूद उसके हिन्दू जीवन के हर क्षेत्र में वह समान आदर व प्रतिष्ठा प्राप्त करती थी। शिक्षा, धर्म, व्यक्तित्व व सामाजिक विकास में उसका महान योगदान था।

संस्थानिक रूप से स्त्रियों की अवनति उत्तर वैदिक काल से प्रारम्भ हुई। अनेक प्रकार से स्त्रियों पर निर्योग्यताओं को आरोपित किया गया। उन पर निंदनीय शब्दों का प्रयोग होने लगा। उनको सभी प्रकार की स्वतंताओं पर अंकुश लगाया गया। मध्यकाल में यह स्थिति दयनीय होती गई।

धर्मशास्त्र ने नारी स्वतंत्रता के विविध रूप से स्वधर्म पालन करने से बाहृय आपदाओं से उसकी रक्षा हेतु पुरूष पर सामाजिक उत्तरदायित्व दिया गया और धर्मनिष्ठ पुरूष इसे भार न मानकर, धर्म मानकर कल्याणकारी कर्तव्य समझता था।

पौराणिक युग में नारी वैदिक युग के देवी पद से उतरकर सहधर्मिणी से स्थान पर आ गई धार्मिक अनुष्ठानों व याज्ञिक कर्मों में उसकी स्थिति पुरूष के बराबर रही। सभी धार्मिक कार्य पत्नी के साथ ही किये जाते थे उसके बिना नहीं। श्री रामचन्द्र जी ने अश्वमेघयज्ञ के समय सीता की अनुपस्थिति में हिरण्यमयी प्रतिमा बनाकर यज्ञ सम्पन्न किया। यद्यपि उस समय भी अरून्धती (महर्षि वशिष्ठ की पत्नी), लोपामुद्रा (पत्नी महर्षि अगस्त्य), अनुसूईया (पत्नी महर्षि अत्रि) आदि नारियाँ देवी रूप की प्रतिरूप थी। तथापि ये सभी अपने पतियों की सहधर्मिणी ही थी।

मध्यकाल में नारियों की स्थिति

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में मध्यकालीन युग में अधिक गिरावट आई। जब समाज में सतीप्रथा, बाल विवाह और विधवा पुर्नविवाह पर रोक सामाजिक जिन्दगी का हिस्सा बन गई थी। भारतीय उपमहाद्वीपों में मुस्लिम शासकों की जीत ने पर्दा प्रथा का प्रारम्भ किया। राजस्थान में राजपूतों ने जौहर की प्रथा प्रारम्भ की। भारत के कई हिस्सों में देवदासियां थीं। मंदिर की महिलाओं को मौन शोषण का शिकार होना पडा। बहुविवाह की प्रथा हिन्दू क्षत्रिय शासकों में प्रचलित थी। अनेक मुस्लिम परिवारों में स्त्रियों को जनानखाने तक ही सीमित रखा गया।

इन सब परिस्थतियों के बाद भी कुछ स्त्रियों ने राजनीति शिक्षा धर्म व साहित्य के क्षेत्रों में सफलता का परचम लहराया। रजिया सुल्ताना दिल्ली पर शासन करने वाली एकमात्र महिला साम्राज्ञी बनी। गोंड की महारानी दुर्गावती ने 1564 में मुगलों के सम्राट अकबर के सेनापति आसफ खान से लडकर अपनी जान गंवाने से पहले पन्द्रह वर्षों तक शासन किया। चांद बीबी ने 1590 में मुगल सम्राट अकबर की शक्तिशाली सेना के खिलाफ अहमदनगर की रक्षा की। मुगल शासक जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने राजशाही शक्ति का काफी प्रभावपूर्ण इस्तेमाल किया और मुगल राजगद्दी के पीछे रहकर अपनी पहचान पाई।

मुगल राजकुमारी जहांआरा और जेबुन्निसा सुप्रसिद्व कवयित्रियां बनी, और उन्होंने उस समय के सत्तारूढ शासन को भी प्रभावित किया। शिवाजी की मां जीजाबाई भी एक कुशल योद्वा ओर प्रशासक के रूप में अपनी क्षमतानुसार क्वीन रीजेंट के रूप में पदासीन हुई।

भक्ति आन्दोलन में स्त्रियों की स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। महिला संत व कवियित्रियों में मीराबाई, लालदेव, अक्का महादेवी व रामी जानाबाई शामिल हैं, यह आन्दोलन महिलाओं व पुरूषों में सामाजिक न्याय व समानता का समान रूप से वकालत करने वाला प्रमुख आन्दोलन था।

इस आन्दोलन के कुछ समय पश्चात सिक्खों के प्रथम गुरू, नानकदेव जी ने स्त्रियों व पुरूषों के मध्य समानता का संदेश प्रसारित किया। मध्यकाल में विदेशियों के आगमन से महिलाओं की स्थिति में जबरदस्त गिरावट आई। स्त्रियों को अशिक्षा व रूढियों के बंधन में बांध दिया गया। घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। नारी एक रमणी भोग्या व अबला बना दी गई। आर्य समाज व अन्य समाजसेवी संस्थाओं ने नारी शिक्षा के लिये प्रयास किये।

19 वीं सदी में नारियों की दशा

19 वीं सदी के पूर्वार्द्व में भारत के कुछ समाजसेवी पुरूषों जैसे– दयानन्द सरस्वती, केशवचन्द्र सेन, राजा राममोहन राय तथा ईश्वरचन्द्र ने इस अत्याचारी व्यवस्था के विरूद्ध अपनी आवाज उठाई।

स्त्रियों के पुनरूत्थान का काल ब्रिटिश काल से प्रारम्भ हुआ। ब्रिटिश शासन के 200 वर्षों की अवधि में स्त्रियों के जीवन में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अनेक सुधार किये गये। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से सरकार द्वारा महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व राजनीतिक स्थितियों में सुधार लाने हेतु अनेक कल्याणकारी योजनाओं व विकासात्मक कार्यक्रमों का आरम्भ किया गया।

19 वीं सदी के मध्यकाल से लेकर 21 वीं सदी तक आते–2 पुनः स्त्रियों की स्थिति समाज के हर क्षेत्र में सुधारात्मक व विकासात्मक उपलब्धियों के नये आयाम तय करती गई। स्त्रियों अधिक आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर व स्वनिर्मित हैं, जिससे पुरूष प्रधान समाज की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर आगे बढती गईं।

वह नर्स, शिक्षिका, डा0, इंजीनियर, पायलट, वैज्ञानिक, टेक्नीशियन, सेना, पत्रकारिता आदि नये क्षेत्रों में लगातार अपना हुनर प्रदर्शन कर रही हैं। राजनीति में भी महिलाओं ने नये कीर्तिमान स्थापित किये देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद से लेकर लोकसभा स्पीकर के पद तक व

प्रदेश की मुख्यमंत्री पद आदि राजनीतिक क्षेत्रों में वह शीर्ष पर है। वहीं खेल जगत में भी उच्च कोटि के पदकों को प्राप्त कर, महिलाओं ने अपनी शारीरिक कुशलता दर्शाने के साथ–साथ भारत देश का नाम भी पूरे विश्वभर में आगे बढाया गया।

20वीं सदी में महिलाओं की स्थिति

20 वीं सदी के उत्तरार्द्व व 21 वीं सदी के प्रारम्भ में महिलाओं ने नये कीर्तिमान स्थापित किये। प्रतिवर्ष कुल परिस्थितियों ने 50 प्रतिशत महिलायें डॉक्टरी की परीक्षा उत्तीर्ण करती हैं। आजादी के बाद से अब तक लगभग 12 प्रतिशत महिलाओं विभिन्न राज्यों की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। भारत के अग्रणी सॉफ्टवेयर उघोग में 21 प्रतिशत पेशे पर महिलायें हैं।

वस्तुतः 21 वीं सदी महिला सदी है। वर्ष 2001 महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया इसी वर्ष प्रथम बार राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति बनाई गई, जिससे देश की स्त्रियों को विभिन्न क्षेत्रों में उत्थान व समुचित विकास की आधारभूत विशेषतायें निर्धारित किया जाना संभव हो सके।

भारत की सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिये राष्ट्रीय मिशन के अनुसार 2011 गणना में महिला लिंगानुपात तथा महिला शिक्षा दोनों ही क्षेत्रों में बढोत्तरी दर्ज हुई है। वैश्विक लिंग गैर सूचकांक के अनुसार, महिलाओं की स्थिति के सुधार के लिये व उनके अच्छे स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा व आर्थिक भागीदारी के लिये भारत सरकार द्वारा कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। जिससे समाज इस स्थिति से निकलकर सही दिशा में तेज गति से बढ सके।

भारत सरकार की योजनायें

भारत सरकार व महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई गई, कई योजनाओं द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया–

बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना

इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना व कन्या शिक्षा को बढावा देना है। लडकियों के बेहतर व उज्जवल भविष्य को आर्थिक सहायता के द्वारा समाज के लोगों की सोच को बदलने का कार्य किया जा रहा है।

महिला हेल्पलाइन योजना

इसके अन्तर्गत महिलाओं को 24 घंटे इमरजेंसी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। जिससे वह अपने विरूद्ध होने वाली किसी भी हिंसा, अपराध या दुर्व्यवहार की शिकायत 181 नम्बर को डायल करके कर सकती हैं।

उज्जवला योजना

इसका उद्देश्य महिलाओं की तस्करी व यौन शोषण से बचाना है, साथ ही साथ उनके पुनर्वास व कल्याण का भी कार्य किया जाता है।

सपोर्ट टू ट्रेनिंग एन्ड एम्प्लायमेंट प्रोग्राम फोर वूमेन (सपोर्ट) योजना

इसके अन्तर्गत महिलाओं के कौशल को दिखाने का काम किया गया है। जिससे कोई रोजगार मिल सके या वह स्वयं कोई रोजगार प्रारम्भ कर सके। यह योजना कई क्षेत्रों जैसे– कृषि, बागवानी, हथकरघा, सिलाई व मछली पालन आदि के विषय में जानकारी प्रदान करती है।

महिला शक्ति केन्द्र

इस योजना का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करना है। इसके द्वारा छात्रों व अन्य स्वयं सेवक ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों व कल्याणकारी योजनाओं की समुचित जानकारी प्रदान करते हैं।

सुकन्या समृद्वि योजना

10 साल से कम उम्र की बिटिया के लिये उच्च शिक्षा और शादी के लिये बचत करने के लिहाज से यह एक अच्छी निवेश योजना है छोटी बचत स्कीम में सुकन्या सबसे बेहतर ब्याज दर वाली योजना है।

7–पंचायती राज योजनाओं में महिलाओं के लिये आरक्षण–2009 में भारत के केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने पंचायती राज संस्थाओं में 50फीसदी महिला आरक्षण की घोषणा की। इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के आर्थिक व सामाजिक स्तर को सुधारने का प्रयास किया गया है। जिससे बिहार, झारखंड, उडीसा व आन्ध्र प्रदेश के साथ ही अन्य प्रदेशों में भी भारी संख्या में ग्राम पंचायत अध्यक्ष के रूप में महिलाओं का चयन हुआ।

भारत में महिला सशक्तिकरण से सम्बन्धित कानून

वर्तमान समय में जबकि महिला सशक्तिकरण का दौर है और महिलायें घर के आंगन से लेकर अंतरिक्ष तक पहुंच गई हैं। लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रों में उनकी स्थिति यथावत है। इसलिये समाज में महिलाओं को सशक्त करने के लिये सरकार द्वारा निम्न कानून आये हैं–

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (1948)

यह अधिनियम पुरूष व महिला श्रमिकों की मजदूरी में भेदभाव या न्यूनतम मजदूरी में भेदभाव की अनुमति नहीं देता है।

खान अधिनियम (1952) और कारखाना अधिनियम (1948)

इन दोनों अधिनियमों के अनुसार महिलाओं को 7 PM से 6 AM के मध्य में काम पर नहीं लगाया जा सकता है। इसके साथ ही काम के दौरान भी उनकी सुरक्षा व कल्याण का भी ध्यान रखना आवश्यक है।

हिन्दू विवाह अधिनियम (1955)

इसके अनुसार एक समय में एक ही पति या पत्नी रखने का प्रावधान है। इस अधिनियम में महिला और पुरूष दोनों को विवाह व तलाक के सम्बन्ध में समान अधिकार दिये गये हैं।[1]

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम (1956)

इसके अन्तर्गत माता पिता की सम्पत्ति में पुत्र व पुत्री दोनों को समान अधिकार दिये गये हैं कि, यदि पुत्री चाहे तो अपने पिता की सम्पत्ति में पुत्र के समान ही बराबर का हक मांग सकती है।

अनैतिक देह व्यापार (रोकथाम) अधिनियम (1956)

इसके द्वारा महिलाओं और लडकियों के यौन शोषण के लिए उनकी तस्करी की रोकथाम की जाती है। यह अधिनियम वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से लडकियों व महिलाओं की तस्करी की रोकथाम के लिये बनाया है।

दहेज निषेध अधिनियम (1961)

इसके अन्तर्गत शादी के पहले या बाद में दहेज मांगना और देना, लेने य देने के लिए उकसाना दोनों ही अपराध माने गये हैं।[2]

मातृत्व लाभ अधिनियम (1961)

इसके द्वारा गर्भवती स्त्री को बच्चे के जन्म से 13 सप्ताह पहले से और जन्म के 13 सप्ताह बाद तक वैतानिक अवकाश प्रदान किया जाता है। जिससे कि शिशु की पूर्ण देखभाल हो सके। गर्भावस्था के दौरान महिला को रोजगार से बाहर निकालना कानूनन अपराध है।[3]

गर्भावस्था अधिनियम (1971)

इसके अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में (जैसे –'जैसे बलात्कार की पीडित महिला या लडकी या किसी बीमारी की हालत में) माननीय व चिकित्सीय आधार पर 24 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी जा सकती है। सामान्य परिस्थितियों में 20 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति दी गई है।[4]

समान परिश्रमिक अधिनियम (1976)

इसके अनुसार किसी समान कार्य या समान प्रकृति के काम के लिये पुरूषों व महिलाओं दोनों श्रमिकों को समान पारिश्रमिक का भुगतान प्रदान किया जायेगा। साथ ही भर्ती प्रकिया में महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जायेगा।

महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (प्रतिबेध) अधिनियम (1986)

इसके द्वारा महिलाओं को विज्ञापनों के माध्यम से या प्रकाशन, लेखन, पेंटिंग या किसी अन्य प्रकार से अभद्र व अश्लील प्रदर्शन को प्रतिबंधित करता है।

सती (रोकथाम) अधिनियम (1987)

यह अधिनियम सती प्रथा (पति की मृत्यु के बाद पत्नी को जबरदस्ती चिता में जलाना) को देश के किसी भी भाग में प्रचलन, उसके महिमामंडन को अपराध घोषित करता है। किसी भी महिला को सती होने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम (1990)

सरकार द्वारा इस आयोग के गठन का उद्देश्य महिलाओं के सांवैधानिक व कानूनी अधिकारों व अन्य सुरक्षा उपायों से सम्बन्धित सभी मामलों की जांच निगरानी व अध्ययन करने के लिए किया था।[5]

घरेलू हिंसा अधिनियम (2005)

इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा (शारीरिक, मानसिक, यौन, मौखिक या भावनात्मक हिंसा) से संरक्षण का प्रावधान है। इसमें सभी महिलायें शामिल हैं, जो दुर्व्यवहार का शिकार करने वाले के साथ रह रही हैं। या शिकार हो चुकी हैं।[6]

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन (रोकथाम निषेध व निराकरण) अधिनियम (2013)

निजी या सार्वजनिक संगठित या असंगठित यह अधिनियम कार्यस्थलों में कार्यरत सभी महिलाओं को यौन उत्पीडन से सुरक्षा प्रदान करता है।

भारतवर्ष में उपरोक्त कानूनों के बाद भी महिलाओं की स्थिति विकसित देशों की तुलना में बहुत ही दयनीय है। इसका प्रमुख कारण महिला अशिक्षा, आर्थिक व सामाजिक परतंत्रता और उनके अपने अधिकारों की जानकारी का अभाव है।

निष्कर्ष

महिलाओं की दशा में सुधार ने देश की आर्थिक व सामाजिक हितों के मायने भी बदल दिये हैं। दूसरे विकासशील देशों की तुलना में हमारे देश की स्त्रियों की स्थिति काफी बेहतर है। वर्तमान समय के इस प्रतिस्पर्धात्मक समय में महिलायें अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक हैं, जिससे वह अपने परिवार व रोजमर्या की दिनचर्या से सम्बन्धित अपनी सुविधाओं का निर्वाह निर्बाध रूप से कर सकें। भारतीय नारियां संसार की अन्य किन्हीं भी नारियों की भांति अपनी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता रखती है। भारतीय कानूनों व योजनाओं ने उनके सशक्तिकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आवश्यकता है उन्हें उचित अवसर प्रदान करने की। समाज में पुरूषों को नारी शक्ति के उद्वारक नहीं बल्कि सहायक बनना चाहिये। इसी आधार पर भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य की संभावनायें सन्निहित हैं।

अंत टिप्पणी

1. *धारा 10 और 11, हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955*
2. *धारा 3 और 4, दहेज निषेध अधिनियम, 1961*
3. *मतृत्व लाभ संशोधन अधिनियम, 2017*
4. *धारा 2 और 3, गर्भावस्था अधिनियम, 1971*
5. *खण्ड 10, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990*
6. *घरेलू हिंसा अधिनियम (2005), 26 अक्टूबर 2006 से लागू*